रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] दिल्ली, मंगलवार अक्तूबर 30, 2018/ कार्तिक 8, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 646

No. 209] DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30 , 2018/ KARTIKA 8, 1940 [N.C.T.D. No. 646

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2018

सं.फा.3/02/एचईएसएमए/2015/गृह पुलिस–II/941–949.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के निवासियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की सेवाएं अनिवार्य सेवाएं हैं ।

और जबकि दिल्ली परिवहन निगम के संविदात्मक कर्मचारियों (ड्राईवरों/कंडक्टरों) दिनांक 22.10.18 से अपने कार्य से अनुपस्थित हैं एवं गैर कानूनी हडताल पर चले गए हैं जिससें परिवहन सेवाओं में बाधा उत्पन्न होगी जिससे आम नागरिकों को कष्ट एवं असुविधा उत्पन्न होगी ।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली परिवहन निगम के संविदात्मक कर्मचारियों (ड्राईवरों/कंडक्टरों) द्वारा की जा रही हड़ताल/आंदोलन पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 1993 की अधिसूचना सं0 जी एस आर 526 (ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 द्वारा उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् (ड्राईवरों/कंडक्टरों) द्वारा कथित सेवाओं को अनिवार्य सेवाएँ घोषित करते हैं और दिल्ली परिवहन निगम संविदात्मक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल /आंदोलन पर छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

ओ.पी.मिश्रा, विशेष–सचिव (गृह)

HOME POLICE –II DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th October, 2018

F.3/02/HESMA/2015/HP-II/941-949.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the services of Delhi Transport Corporation are an essential transport service for the people of the National Capital Territory of Delhi.

And whereas the Contractual employees (Drivers/ Conductors) of Delhi Transport Corporation have not joined their duties and gone on unauthorized strike w.e.f. 22.10.18. This may lead to disruption of transport services causing inconvenience and hardship to the general public.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public interest, it is necessary and expedient to prohibit the strike/agitation by Contractual employees (Drivers/ Conductors) of Delhi Transport Corporation.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30.07.93, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike/agitation by Contractual employees (Drivers/ Conductors) of Delhi Transport Corporation for a period of six months.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

O.P.MISHRA, Spl. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.10 14:26:23 +05'30'